Order Sheet [Contd]

II-156
C.J.

Case No. 113A/22 of 20......................

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ कमांक–15	

प्र.क.–113ए/2022
फाईलिंग नं.–322/2022
सी.एन.आर–एम.पी.050023902022
संस्थापन दिनांक–18–10–2022

1. शंकर पुत्र सीताराम सिहारे,
उम्र 47 वर्ष,
निवासी– ग्राम लांच, तहसील इन्दरगढ़,
जिला दतिया, म.प्र.
................**वादी**

विरूद्ध

1. लखनलाल पुत्र काशीराम कुशवाह,
उम्र 50 वर्ष,
निवासी– ग्राम बड़ोखरी, तहसील सेंवढ़ा,
जिला दतिया, म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
जिला दतिया, म.प्र.
.................**प्रतिवादीगण**

वादी की ओर से श्री एच.एस. चौहान अधिवक्ता।
प्रतिवादी क.01 स्वयं उपस्थित।
प्रतिवादी क.02 अनिर्वाहित।

–:(लोक अदालत आदेश दिनांक 12.11.2022):–

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 को खण्डपीठ क.**15** के समक्ष पेश है।

वादी द्वारा श्री एच.एस. चौहान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी क.01 स्वयं उपस्थित।

प्रतिवादी क.02 अनिर्वाहित।

वादी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23

लखनलाल

शंकर

(P.T.O.)

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Pleadings necessary

नियम 1 सि.प्र.सं. का पेश किया गया है।

प्रकरण उक्त आवेदन पत्र पर विचार हेतु नियत है।

आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क.01 के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो चुका है, इस कारण वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर निराकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदन पर सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। **आदेश 23 नियम 1 सि.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार –"वाद संस्थित किए जाने के पश्चात किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरूद्ध अपने दावे का परित्याग या प्रत्याहरण कर सकेगा।"** इस संबंध में अवलोकनीय है कि वादी अपने दावे का स्वयं मालिक होता है। चूंकि वादी वाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम व्यक्ति है तथा वादी से पूछे जाने पर उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि वादी का प्रतिवादी क.01 से अब कोई विवाद नहीं रहा है तथा उनके मध्य राजीनामा हो गया है, इस कारण वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने दावे का परित्याग कर दिया गया है तथा प्रकरण में अब किसी भी बिंदु पर विचारण होना शेष नहीं है। अतः बादी को वाद का प्रत्याहरण करने की अनुमति प्रदान की जाकर वाद **निरस्त** किया जाता है।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

व्यय तालिका बनाई जावे।

उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के सामने कराया गया है। अतः वादी को न्यायालय शुल्क वापस किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. पंजी में दर्ज कर विधिवत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(सदस्य)
अधिवक्ता श्री महेन्द्र निरंजन

12.11.22
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्रमांक–15
सेंवढ़ा, जिला दतिया, म.प्र